उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–3
संख्या– 781 /चि0–3–18–1633/2015,
लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल,2018

कार्यालय ज्ञाप

डा0 शिव ओम भू, अस्थि रोग विशेषज्ञ (वरि0क0–11318क, लेवल–3), जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर के विरूद्व उ0प्र0 आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सदस्य के रूप में अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण हेतु उत्कोच ग्रहण करने की प्राप्त शिकायतों की जॉच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 06.04.2015 को चिकित्सा परिषद का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डा0 शिव ओम भू के पास अवैध धनराशि पाये जाने के कारण पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर जेल में निरूद्व कर दिया गया तथा उनके विरूद्व थाना–कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा–7/13 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। डा0 शिव ओम भू को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली, 1999 के नियम–4 के उप नियम–3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत जेल में निरूद्व रहने की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश संख्या–1453/सेक–2–पॉच–15–5(86)/2015, दिनांक 07.05.2015 द्वारा प्रकल्पित निलम्बित किया गया। डा0 शिव ओम भू को निलम्बन अवधि में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1463/सेक–2–पांच–15–5(86)/2015, दिनांक 08.05.2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जॉच हेतु निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2. चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत डा0 शिव ओम भू, अस्थि रोग विशेषज्ञ (वरि0क0–11318क, लेवल–3), जिला चिकित्सालय, संतकबीरनगर सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या–1453/सेक–2–पॉच–15–5(86)/2015, दिनांक 07.05.2015 द्वारा किये गये निलम्बन को समाप्त करते हुये सेवा में बहाल करने तथा उन्हें जिला पुरूष चिकित्सालय, हमीरपुर में तैनात किये जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. डा0 शिव ओम भू के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या–1463/सेक–2–पांच–15–5(86)/2015, दिनांक 08.05.2015 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही यथावत गतिमान रहेगी तथा आपराधिक मामला भी गतिमान रहेगा।

4. निलम्बन अवधि के वेतन भत्तों आदि के बारे में उक्तानुसार विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

वी० हेकाली झिमोमी
सचिव

संख्या– 781 (1)/चि0–3–18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती/चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, हमीरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि डा0 शिव ओम भू को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराकर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायें।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, संतकबीर नगर/हमीरपुर।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा– डा0 शिव ओम भू, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ)।
9. चिकित्सा अनुभाग–2/8/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

Nilamban se bhali 2018 s_gyan

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–3
संख्या– 781(एक)/चि0–3–18–1633/2015,
लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल,2018

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

डा0 प्रदीप कुमार जैन, चेस्ट फिजीशियन, (वरि0क0–8092, लेवल–3), जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर के विरूद्व उ0प्र0 आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सदस्य के रूप में अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण हेतु उत्कोच ग्रहण करने की प्राप्त शिकायतों की जॉच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 06.04.2015 को चिकित्सा परिषद का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डा0 प्रदीप कुमार जैन के पास अवैध धनराशि पाये जाने के कारण पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर जेल में निरूद्व कर दिया गया तथा उनके विरूद्व थाना–कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा–7/13 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। डा0 प्रदीप कुमार जैन को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली, 1999 के नियम–4 के उप नियम–3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत जेल में निरूद्व रहने की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश संख्या–1452/सेक–2–पॉच–15–5(86)/2015, दिनांक 07.05.2015 द्वारा प्रकल्पित निलम्बित किया गया। डा0 शिव ओम भू को निलम्बन अवधि में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1466/सेक–2–पांच–15–5(86)/2015, दिनांक 08.05.2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जॉच हेतु निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2. चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत डा0 प्रदीप कुमार जैन, चेस्ट फिजीशियन, (वरि0क0–8092, लेवल–3), जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या–1452/सेक–2–पॉच–15–5(86)/2015, दिनांक 07.05.2015 द्वारा किये गये निलम्बन को समाप्त करते हुये सेवा में बहाल करने तथा उन्हें जिला पुरूष चिकित्सालय, चित्रकूट में तैनात किये जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. डा0 प्रदीप कुमार जैन के विरूद्व कार्यालय ज्ञाप संख्या–1466/सेक–2–पांच–15–5(86)/2015, दिनांक 08.05.2015 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही यथावत गतिमान रहेगी तथा आपराधिक मामला भी गतिमान रहेगा।

Nilamban se bhali 2018 s_gyan

4. निलम्बन अवधि के वेतन भत्तों आदि के बारे में उक्तानुसार विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव

संख्या– (1)/चि0–3–18, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती/चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, संतकबीर नगर ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि डा0 प्रदीप कुमार जैन को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराकर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायें।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, संतकबीर नगर/चित्रकूट।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा– डा0 प्रदीप कुमार जैन, चेस्ट फिजीशियन, (वरि0क0–8092, लेवल–3), जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ)।
9. चिकित्सा अनुभाग–2/8/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

Nilamban se bhali 2018 s_gyan